



नगर निगम, आगरा

ई-न्यूज लैटर


मार्च, 2018



Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

इस अंक में :

- कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही।
- कर्मचारी सेवानिवृत्ति।



**नवीन जैन
महापौर**

**अरुण प्रकाश
नगर आयुक्त**

कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही : शहरी क्षेत्र में कण्डा/उपला बनाने एवं जलाने वालों के विरुद्ध नगर निगम, आगरा द्वारा नगर निगम अधिनियम की धारा 258(घ), 386 एवं 460/467 के अन्तर्गत माह मार्च 2018 में कुल 92 चालान किये गये।

कर्मचारी सेवानिवृत्ति : नगर निगम, आगरा में कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्ति उपरान्त देय भुगतानों के लिए एवं पेंशन स्वीकृति के लिये कार्यालय के चक्कर लगाना न पड़े। इस हेतु नगर निगम, आगरा द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम दिन सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके समस्त देयों के भुगतान के चेक एवं पीपीओ ससम्मान विदाई समारोह आयोजित करके हस्तगत किये जाते हैं।

माह मार्च 2018 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 28.02.2018 को सेवानिवृत्त देय भुगतान के चेक एवं पीपीओ वितरित किये गये। कुल 4 सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई समारोह में फूलमाला एवं शॉल पहना कर सम्मानित किया गया और कुल धनराशि रु. 4066511.00 का चेक वितरण किया गया।